Dr. SALIM RAJ
CHAIRMAN
Cabinet Minister Status

Ph. No. : +91 771 4914840
Office : Collectorate Chowk,
Raipur-492001 (C.G.)

CHHATTISGARH STATE WAQF BOARD

(Constituted under Waqf Act. 1995 as amended 2013, Govt of India)

Ref. No. 305/2026 Date 12/11/2026

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के अवैध विक्रय व अवैध पंजीकरण के सम्बंध में सी.बी.आई. जांच का भेजा गया है प्रस्ताव, जांच प्रक्रियाधीन है, कांग्रेस कर रही दूषप्रचार – डॉ.सलीम राज

12 नवम्बर 2026, रायपुर छ.ग। प्रदेश की ऐसी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां जिनके सम्बंध में अवैध विक्रय व अवैध पंजीकरण की शिकायत/जानकारी प्राप्त हुई है जिसका अनुमानित मूल्य 500 करोड़ रूपये है, उक्त पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के सम्बंध में छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा निरंतर कार्यवाही किया जाकर सम्बंधित जिला कलेक्टर व जिला पंजीयक को पत्र जारी कर वक्फ सम्पत्तियों के अवैध विक्रय व अवैध पंजीयन को शून्य किये जाने एवं वक्फ सम्पत्ति को वापस लाने हेतु प्रेषित किया गया है साथ ही सम्बंधितों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के सम्बंध में भी निरंतर पत्र जारी किये गये है।

इस संदर्भ में प्रसारित समाचार जिसमें यह कहा जा रहा है कि डॉ.सलीम राज के दावे झूठे हैं इसका खंडन यह है कि कार्यालय छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जो सूचना का अधिकार के तहत जानकारी दी गई थी वह अध्यक्ष की जानकारी के बिना दी गई और भ्रामक जानकारी दी गई जिसके कारण सम्बंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

प्रदेश की ऐसी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां जिनका अवैध क्रय–विक्रय व अवैध पंजीकरण हुआ है उसकी सी.बी.आई. जांच कराये जाने हेतु माह माई 2026 को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन, माननीय गृह मंत्री, छ.ग.शासन के साथ सी.बी.आई. को पत्र जारी कर निवेदन किया गया है इसके साथ ही पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के अवैध क्रय–विक्रय व अवैध पंजीकरण को शून्य कराया जाकर वक्फ सम्पत्ति को वापस लाने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में सम्बंधित जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक को भी कार्यालय द्वारा पत्र जारी किये गये हैं जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार से यह कहा जाना कि छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड के दावे झूठे हैं यह बात बेबुनियाद और कांग्रेस की दूषित मानसिकता को परिलक्षित करता है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में वक्फ सम्पत्तियों पर से कितने अतिक्रमण को हटाया गया? कितनी वक्फ सम्पत्तियों को सुरक्षित कर समाज कल्याण के लिए उपयोग में लाया गया? कांग्रेस केवल अपने कुकृत्यों को छुपाने और अपनी निष्क्रीयता को छुपाने के लिए इस प्रकार से गलत प्रचार करती रहती है। कांग्रेस केवल हल्ला मचाने का कार्य करती है और भाजपा समाज कल्याण में काम करने पर विश्वास करती है। कांग्रेस के तथाकथित लोग जो वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं उन्हें कांग्रेस संरक्षण और समर्थन देने का कार्य करती रही है इसलिए इस प्रकार की बयानबाजीयां करती है।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने वक्फ सम्पत्तियों की बेहतरी के लिए जो कार्य किया है वह सराहनीय है, सभी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों को पोर्टल में दर्ज कराकर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है जो अभूतपूर्व मिसाल है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री के मार्गदर्शन में राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में स्थित वक्फ सम्पत्ति जो कई दशकों से अवैध कब्जे में थी उसे छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमणमुक्त कराया जाकर सम्बंधित वक्फ संस्था को सौंपा गया है, यह फर्क है कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली में।

सलीम राज

(डॉ.सलीम राज)